

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3656

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

असम के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों में तपेदिक होना

3656. श्री रंजीत दत्ता:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों, विशेषकर ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच तपेदिक अभी भी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है, जैसा कि वर्ष 2019-21 के राष्ट्रीय तपेदिक प्रसार सर्वेक्षण में बताया गया था कि प्रति 100000 जनसंख्या पर 217 मामले पाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में तपेदिक से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं / उठाए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें जागरूकता, समाधान और उपचार संबंधी पहल सम्मिलित है;

(ग) क्या सरकार द्वारा असम के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों में तपेदिक रोग की रोकथाम के लिए कोई विशेष योजना/कार्यक्रम शुरू किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों से तपेदिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा आयोजित टीबी प्रसार सर्वेक्षण रिपोर्ट (2019-21) के अनुसार, पूर्वोत्तर राज्यों में एक समूह (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम) में टीबी के सभी रूपों की व्याप्तता प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 274 मामले थी।

सरकार ने असम सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) कार्यान्वित किया है। क्षयरोग से निपटने के लिए उठाए गए मुख्य कदम निम्नानुसार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से क्षयरोग से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लक्षित कार्यकलाप।

- क्षयरोगियों के लिए निःशुल्क औषधियों और निदान का प्रावधान।
- कमजोर आबादी के बीच टीबी के मामलों का पता लगाने की प्रक्रिया को तेज करना।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्षयरोग जांच और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण।
- टीबी मामलों की संसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- आण्विक नैदानिक प्रयोगशालाओं को उप-जिला स्तरों तक बढ़ाना।
- उपचार की पूरी अवधि के लिए पोषण सहायता के रूप में प्रति रोगी प्रति माह 1,000 रुपये की नि-क्षय पोषण योजना।
- टीबी रोग के कलंक को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यक्रम।
- क्षयरोगियों और संवेदनशील आबादी के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए क्षय रोग निवारक उपचार का प्रावधान।
- नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से संसूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- नि-क्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और घर में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के लिए अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम ने चाय बागानों और इसके आस-पास के क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत चाय बागान स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया है।

इसके अतिरिक्त, असम राज्य सरकार ने चाय बागान कामगारों के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- चाय बागान स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से क्षयरोग का निः शुल्क निदान और उपचार।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), असम के तहत 354 चाय बागान स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बदलना।
- समर्पित चल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) के माध्यम से चाय बागान आबादी को व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करना।
- चाय जनजाति और आदिवासी कल्याण निदेशालय के माध्यम से स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम।
